मूल वाद में अन्तिम डिक्री

बमुकद में ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 101/2025

वाद पत्र अं. धारा 53 आर.टी.ए.

कर्मजीत सिह कौर पत्नी श्री सुखमन्दर सिह जाति जटसिख निवासी लीलावाली।

बलवीर सिह पुत्र श्री महेन्द्र सिह सिह जाति जटसिख निवासी लीलावाली।

वीरपाल कौर पत्नी श्री रमनदीप सिह सिह जाति जटसिख निवासी लीलावाली।

बनाम

1. जयपाल पुत्र श्री बृजलाल जाति जाट निवासी लीलावाली।
2. मलकीत पुत्र श्री बृजलाल जाति जाट निवासी लीलावाली।
3. विनोद पुत्र श्री बृजलाल जाति जाट निवासी लीलावाली।
4. हंसराज पुत्र श्री बृजलाल जाति जाट निवासी लीलावाली।
5. सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री कौरचन्द जाति अग्रवाल निवासी हनुमानगढ़।
6. तहसीलदार राजस्व संगरियां

दिनांक :– 24.10.2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री कुलदीप मूण्ड वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री ..... वकील प्रतिवादी मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:– चक 4 एमएमके

1. कर्मजीत कौर पत्नी सुखमन्द्र सिह 13/28 हि.वीरपाल कौर पत्नी रमनदीप सिह 13/28 हि.बलवीर सिह पुत्र महेन्द्र सिह 1/14 हि. जाति जटसिख निवासी लीलावाली प.न. 158/206 मु.न. 56 किला नं. 25/0.253, प.न. 158/207 मु.न. 65 किला नं. 4,5,6,7/1.012 प.न. 159/206 मु.न. 55 का किला नं. 21,22,23/0.759 प.न. 159/207 मु.न. 66 किला नं. 1,2,3,8,9,10/1.518
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र कौर चन्द जाति अग्रवाल निवासी हनुमानगढ़ प.न. 158/206 मु.न. 56 किला नं. 17,18,24/0.759 है.
3. विनोद 1/6 हि.हंसराज 1/6 हि.जयपाल 1/3 हि. मलकीत 1/3 हि. पि.बृजलाल जाति जाट निवासी लीलावाली प.न. 159/206 मु.न. 55 किला नं. 24/0.253, 25/1/0.228, 25/2/0.025 गै.मु. रास्ता प.न. 159/207 मु.न. 66 का किला नं. 4,7/0.506 5/1/0.228, 5/2/0.025 गै.मु.रास्ता 6/1/0.228 6/2/0.025 गै.मु.रास्ता प.न. 160/207 मु.न. 67 किला नं. 1,2,9,10,11,12/1.518 है.

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/3979 दिनांक 06.10.2025 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। प्रश्नगत भूमि रहन मुक्त होने के पश्चात ही नामान्तकरण दर्ज किया जावे।

नोट :– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज X मुब्लिक X बाबत X खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक X को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 24/10/25 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया